

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से हों किया जावे न  
कि किसी अत्यं पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार तुझा हों तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
 दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
 (कार्यालय)  
 2442462 (निवास)  
 फैक्स : (0091-0751-2341768  
 E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
 Website : <http://www.jiwayi.edu/>

प्रेषक :  
 कुलसचिव,  
 जीवाजी विश्वविद्यालय  
 ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्धता/2011/ 41172

दिनांक : 07-12-11

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अवाडपुरा, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बन्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिक्रिया :-

#### (A)

1. महाविद्यालय स्वयं की भूमि क्रय करे। उस पर महाविद्यालय का भवन बनायें। जिस भवन में महाविद्यालय शुरू किया गया है उसमें स्कूल चलता है इस भवन में महाविद्यालय नहीं चलाया जा सकता है अतः स्वयं की भूमि खरीद कर । वर्ष में भवन बनायें।
2. शिक्षकों एवं प्राचार्य की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत करें। परिनियम अनुसार लाइब्रेरीयन एवं स्पोर्ट ऑफीसर की नियुक्ति करें।
3. गवालियर में बी.बी.ए. पाठ्यक्रम की 25,000 रुपये की पुस्तकें क्रय करें।
4. 2009-10 की सम्बन्धता जिन शर्तों के आधार पर दी गई थी, उन्हें पूरा नहीं किया गया।
5. यदि स्वयं की भूमि शासकीय नियमानुसार पूरी नहीं की जाती है तो सत्र 2011-12 में प्रवेश न दें।

#### (B)

1. बी.लिब. पाठ्यक्रम एवं बी.मी.ए. (प्रथम वर्ष) हेतु न महाविद्यालय में जगह है नहीं साधन हैं। अतः सत्र 2010-11 में इन पाठ्यक्रमों में सम्बन्धता प्रदान नहीं की जाती है।
2. बिना सम्बन्धता के सत्र 2011-12 में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश न दिये जायें।

आदेशानुसार  
*3*  
 कुलसचिव

### प्रति,

1. प्राचार्य, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अवाडपुरा, ग्वालियर।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिवित संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*Yogi*  
 सहा.-कुलसचिव (सम्बन्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से हो किया जाए जा  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : गृहीतर्सी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसंचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4519

दिनांक: 06/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अवाडपुरा, ग्वालियर (99266-63462) को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संबलित बी.सी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.लि.ब. कक्ष/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपत्ते महोदय के आदेश दिनांक 23.01.2012 के द्वारा पुनः निरीक्षण हेतु निम्न पूर्व गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना है।

द्वारा पुनः निरीक्षण हेतु निम्न पूर्व गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना है।

- प्रो. जे.एन. गोतम, कुलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442603)
- डॉ. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर
- डॉ. एस.के. सिंह, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्धन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र के तथा भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा ग्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। निवेदन है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन सात दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में करें। प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व समिति संयोजक का होगा। यदि महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष 15 दिवस के जमा करें। प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व समिति संयोजक का होगा। यदि महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष 15 दिवस के अन्दर समिति संयोजक व सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण नहीं करायें तो संयोजक संबद्धता प्रभारी को सूचित करें।

कुलसंचिव

### प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि रानीति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधीनित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- कुलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

टिप्पणी :- समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

दूष्टका-कुलसंचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

तत्त्वज्ञान एवं संस्कृत कुलसंचित्र जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाते हैं जो  
कि किसी अन्य प्राचीनकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर जीवाजी पूर्व में पर  
संस्कृत कुला ही ही पर क्रमांक एवं विद्याल  
अध्यक्ष किया जाते विस्तरे दिया है।



प्राप्त : कूलसंचित्र  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(मालवीय)  
2442462 (विद्यालय)  
फैक्टर : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwi@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwoji.edu/>

प्रैषक :  
कुलसंचित्र,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ ५७४८

दिनांक ०१/०६/१२

## // संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिवियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपालिका की बैठक दिनांक 22 मार्च, 2012 के पद क्रमांक (13) के विर्णवानुसार कृष्णा हंसटीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल रखीज, अग्रहानुग, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रलापित/संचालित बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता विभव शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्त/प्रतिबंध :-

1. ग्राहाविद्यालय खण्ड की भूमि का रखे। उस पर ग्राहाविद्यालय का भवन बनायें। जिस भवन ने ग्राहाविद्यालय युरु किया गया है उसमें रक्षाल बलता है इस भवन में ग्राहाविद्यालय नहीं बलाया जा सकता है अतः खण्ड की भूमि छींद कर। वर्ष में भवन बनायें।
2. शिक्षकों एवं प्राचार्य की लियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत करें। परिवियम अनुसार लाइब्रेरीनल एवं स्पोर्ट ऑफीसर की लियुक्ति करें।
3. ग्राहाविद्यालय ने बी.बी.ए. पाठ्यक्रम की 25,000 रुपये की पुस्तकें कर्य करें।
4. 2009-10 की सम्बद्धता विभव शर्तों के आधार पर दी गई थी, उन्हें पूरा नहीं किया गया।

आदेशानुसार  
3  
कुलसंचित्र

प्रति,

1. प्राचार्य, कृष्णा हंसटीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल रखीज, अग्रहानुग, ग्वालियर।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुळा भवन, ओपाल।
3. श्रीमी अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-घंवल संभाग, जोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसंचित्र (परीक्षा/बोधकीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचितीय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Raj  
उप-कुलसंचित्र (सम्बद्धता)